न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

कन्हैयालाल श्री हीरालाल मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 431/2018

वादी :– ओंदुराम पुत्र श्री जोगीराम, जाति मेघवाल, निवासी नेतड़िया, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सोहनराम पुत्र श्री जोगीराम
2. कानाराम पुत्र श्री जोगीराम
3. रामाराम पुत्र श्री जोगीराम
4. जोगीराम पुत्र श्री बक्साराम

   सभी जाति मेघवाल, निवासीगण नेतड़िया

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

5. तहसीलदार मेड़ता।

<u>दावा घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक :–29.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अर्थात वादी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सगे भाई है, प्रतिवादी संख्या 4 इनके पिता है। सभी हिन्दू है, संयुक्त हिन्दू परिवार है। सभी एक ही खानदान के सदस्य है। वादी के दादा बक्साराम जी का स्वर्गवास हो चुका है। बक्साराम जी के स्वर्गवास के बाद उनके खातेदारी की जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जो मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 184 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 4.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल

Scanned by CamScanner

रकबा 9.24 हैक्टेयर की जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पैतृक भूमि आयी हुई है। मगर राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरान की जमीन प्रतिवादी संख्या 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरान की जमीन अविभाजित है तथा संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है। इस वजह से इस वाद में उक्त खसरान की जमीन वादग्रस्त खसरान के नाम से जानी जायेगी। जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त हिन्दू परिवार चला आ रहा है। मगर प्रतिवादी संख्या 4 की आयु काफी अधिक हो जाने से प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए व परिवार की खुशियों को ध्यान में रखते हुए अपने चारों पुत्रों के बीच प्रतिवादी संख्या 4 ने परिवार के सभी सदस्यों की रजामंदी से वर्ष 2015 में दीपावली के दिन परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में वादग्रस्त खसरान की भूमि का फैमेली सेटलमेंट करते हुए विभाजन कर दिया। जो वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट क में स्पष्ट दर्शित है तथा बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 की सहमति से उनके द्वारा किये गये बंट को स्वीकार कर मौके पर अलग–अलग काश्त व काबिज हो गये तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली व मौके पर शांतिपूर्वक काश्त व काबिज चले आ रहे है। मगर उक्त खसरा की जमीन पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रियांबड़ी के यहां रहन थी, जिसको सभी वादी व प्रतिवादीगण ने सम्मिलित रूप से राशि जमा करवाकर रहनमुक्त करवाया तथा अब राज्य सरकार की अलग–अलग योजनान्तर्गत कई प्रकार के लाभ भी दिये जा रहे है मगर सम्पूर्ण खसरान की जमीन आज भी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है और प्रतिवादी संख्या 4 ने वादग्रस्त खसरान की जमीन का बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच कर दिया

Scanned by CamScanner

है। मगर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 4 के नाम खातेदारी का इन्द्राज होने से वादी को इन योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। इस वजह से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के समक्ष बंटवाड़े के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खातेदारी का इन्द्राज करवाने का कहा मगर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा न तो बंटवाड़ा करवाने में मना किया किया जा रहा है और ना ही स्वयं उपस्थित होकर बंटवाड़ा करवा रहे है, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भी वादी की बातों को नजरअंदाज कर रहे है। इस वजह से वादी कानूनी बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु यह वाद पेश कर रहा है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 7 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा नेतड़िया की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 131 व नजरी नक्शा की प्रतियां पेश की।
3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री श्यामलाल मेहरिया ने वकालतनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन तारीख पेशी 08.08.2018 का सम्मन तामील सुदा संलग्न पत्रावली परन्तु अनुपस्थित रहने से आज दिनांक 29.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।
4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक

Scanned by CamScanner

अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा वाना निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी छोटुराम के बंट में** :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 164 रकबा 1.42 हैक्टेयर नजरी नक्शा में बतायी पूर्वी तरफ की रकबा 0.71 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 404 रकबा 0.61 हैक्टेयर में से रकबा 0.29 हैक्टेयर संलग्न नजरी नक्शा में बतायी (मार्क 4/5 व 2/3) अर्थात बीच की रकबा 0.29 हैक्टेयर जमीन व खसरा नम्बर 400 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में बतायी (मार्क 4/6 व 4/7 की) रकबा 1.31 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर जमीन बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **प्रतिवादी संख्या 1 सोहनराम के बंट मे** :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 164 रकबा 1.42 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा में बतायी पश्चिमी तरफ की रकबा 0.71 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 400 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में बतायी (मार्क 1/1 पूर्वी तरफ की रकबा 0.71 हैक्टेयर व पश्चिमी तरफ की 1/2 रकबा 0.89 हैक्टेयर) रकबा 1.60 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर जमीन बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(3) **यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 हजारीराम के बंट में** :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 390 रकबा 2.73 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा में बतायी दक्षिणी तरफ की रकबा 1.37 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 404 रकबा 0.61 हैक्टेयर में से उत्तरी तरफ की रकबा 0.16 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 400 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में बतायी (मार्क 3/5 व 3/6) रकबा 0.78 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर जमीन बंट में आयी।

Scanned by CamScanner

6.(4) **प्रतिवादी संख्या 3 रूपाराम के बंट में :–** मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 390 रकबा 2.73 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा में बतायी उत्तरी तरफ की रकबा 1.36 हैक्टेयर व खसरा नम्बर नम्बर 404 रकबा 0.61 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ की रकबा 0.16 हैक्टेयर व 400 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में बतायी (मार्क 2/4 व 2/5) रकबा 0.79 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर जमीन बंट में आयी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner